

सीबीडीटी सर्कुलर संख्या 2/2024 दिनांक 5-मार्च-2024 ने उन संस्थानों को राहत प्रदान की है जहाँ उनके द्वारा ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2023 को या उससे पहले अपलोड की गई है, लेकिन गलत फॉर्म का उपयोग किया गया है यानि फॉर्म 10बी की जगह फॉर्म 10बीबी का उपयोग या इसके विपरीत फॉर्म का उपयोग किया गया है।

ऐसे मामलों में ट्रस्ट या संस्था फॉर्म 10बी या फॉर्म 10बीबी, जो उन पर लागू हो, को 31 मार्च 2024 तक फिर से जमा कर सकती है और ऐसा करने पर इसे समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा किया हुआ माना जाएगा।

क्या आप जानते हैं ?



31 अक्टूबर 2023 को या उससे पहले गलत फॉर्म 10बी या 10बीबी जमा करने वाले संगठन 31 मार्च 2024 तक संशोधित फॉर्म 10बी या 10बीबी जमा कर सकते हैं।